प्रश्न सं. [क्र. 752]

परिशिष्ट–1

विधान सभा तारांकित प्रश्न कमांक 752 प्रश्नांश (ग) के संबंध में जानकारी ।

सरल कमांक	प्रकरण की विषयवस्तु	आरोप पत्र जारी करने का दिनांक	विभागीय जांच संस्थित करने का दिनांक	प्रकरण की अधतन स्थिति
1	जिला खण्डवा में पदस्थापना अवधि के दौरान देशी/ विदेशी मदिरा दुकानों से नियमानुसार अंतरण पश्चात् प्राप्त की जाने वाली न्यूनतम प्रत्याभूति ड्यूटी की राशि जमा कराये जाने में बरती गयी लापरवाही एवं कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 27.08.2020 का जबाव प्रस्तुत नही करने संबंधी अनियमितताए बावत्।	कार्यालयीन पत्र कमांक–2(ब)/वि.जां./05–आरोप पत्र–2021/355 दिनांक 19.03.2021	कार्यालयीन आदेश पृ0 कमांक–2(ब)/वि.जां./05–2021/354 दिनांक 19.03.2021 से उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, संभाग इंदौर को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है।	जांचकर्ता अधिकारी उपायुक्त आबकारी, संभागीय उडनदस्ता संभाग इन्दौर द्वारा पत्र दिनांक 14.12.2022 के माध्यम से मुख्यालय से पदस्थ तत्कालीन शासकीय गवाहों के मुख्यालय से स्थानांतरण उपरांत नवीन कार्यालय के पते संबंधी जानकारी चाही गयी है, जिसकें संबंध में कार्यालयीन पत्र कमांक' 2(ब)/वि.जां./05–2021/1245 दिनांक 27.12.2022 से वांछित जानकारी जांचकर्ता अधिकारी को उपलब्ध कराई गयी है। जांचकर्ता अधिकारी को कार्यालयीन पत्र कमांक–2ब/वि.जां./05–2021/65 दिनांक 13.01.2023 से जांच प्रतिवेदन भेजने हेतु स्मरण कराया गया है।
2	1– देशी/ विदेशी मदिरा /बीयर की मासिक खपत में कमी 2– कलेक्टर जिला अलीराजपुर के पत्र कमांक/10/स्थेनों/2020/21 दिनांक 14.01.2021 में उल्लेखित तथ्यों अनुसार अधिकांशतः अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने एवं समाचार पत्रों में अनुपस्थिति के संबंध में छपी खबरों के आधार पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। 3– जिला अलीराजपुर में दिनांक 10 एवं 11.01.2020 को अवैध मदिरा परिवहन करते हुए ट्रक कमांक–एम.एच.–18 बी0ए0 0498 को व्यक्तिगत लाभ लेकर छोडे जाने संबंधी तथ्य। 4– श्रीमती फरहत नाजनीन के सांथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देने एवं दहेज न दिये जाने पर जातिसूचक गालिया देकर अपमानित करना एवं पहली पत्नि के होते हुए दूसरा विवाह किये जाने संबंधी तथ्य।। 5–परिवहन परमिट कमांक–05 दिनांक 10.01.2020 से संबंधित अभिलेख स्वंय के हित के लिये गायब कराये जाने संबंधी तथ्य पर आधारित ।	1–कार्यालयीन पत्र कमांक–2(ब)/वि.जां./16–विभागीय जांच–2021/880 दिनांक 02.08.2021 2–कार्यालयीन पत्र कमांक–2(ब)/वि.जां./16–विभागीय जांच–2021/1258 दिनांक 22.10.2021 से अतिरिक्त आरोप कमांक–05 जोडा गया ।	कार्यालयीन आदेश पृ0 कमांक–2(ब)/वि.जां./16–2021/879 दिनांक 02.08.2021 से उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता संभाग उज्जैन को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था उक्त आदेश में आंशिक संशोधन किया जाकर कार्यालयीन आदेश पृ0 कमांक–विभागीय जांच/2021/405. दिनांक 15.09.2021 से उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, संभाग सागर को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है।	उपायुक्त आबकारी सं0उ0द0 सागर के पत्र कमांक –82 दिनांक 01.02.2023 से अवगत कराये गये अनुसार प्रकरण में शासकीय गवाहों के कथन हेतु दिनांक 01.02.2023 की तिथि नियत की गई थी, किन्तु अपचारी अधिकारी द्वारा उक्त दिनांक को माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में आवश्यक कार्य होने के कारण, निर्धारित दिनांक को सुनवाई हेतु उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त की गई है। उक्तानुसार वर्तमान में आबकारी नीति वर्ष 2023–24 की कार्यवाही प्रचलन में होने से, प्रकरण में आगामी सुनवाई हेतु तिथि पृथक से जारी की जावेगी।

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 752 प्रश्नांश (ग) के संबंध में जानकारी ।

सरल क्रमांक	प्रकरण की विषयवस्तु	आरोप पत्र जारी करने का दिनांक	विभागीय जांच संस्थित करने का दिनांक	प्रकरण की अद्यतन स्थिति
3	कार्यालय उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता संभाग उज्जैन में पदस्थ होने के उपरांत कर्तव्य से अनुपस्थित रहने संबंधी अनियमितताओं के आधार पर	मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, बल्लभ भवन भोपाल द्वारा आदेश पृष्ठांकन क्रमांक–390/4538/2021/2/पांच दिनांक 03 फरवरी 2022 से निलंबित किया जाकर, पत्र क्रमांक बी–7(ए) 22/2022/2/पांच दिनांक 17/03/2022 से आरोप पत्र जारी किया गया है । शासन आदेश क्रमांक बी–7(ए) 22/2022/2/पांच दिनांक 14 नवंबर 2022 से निलंबन से बहाल किया गया है।	निरंक	**श्री रंगशाही द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के उत्तर पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।**

15/2/23
सहायक आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
आबकारी/विक्रयकर शाखा
भोपाल